-1-

118

न्यायालय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्र0क्र0 / 14 पुनरीक्षण R 2203-I/14

सेवकराम पुत्र श्री भीकम सिंह जाति लोधी आयु 65 वर्ष, निवासी ग्राम हॉसुआ तहसील व जिला विदिशा, म0प्र0

.... आवेदक

बनाम

1. श्रीमती लीलाबाई पत्नि श्री तुलसीराम आयु 50 वर्ष, जाति साहू , निवासी ग्राम हांसुआ तहसील व जिला विदिशा, म0प्र0
2. म0प्र0 शासन द्वारा जिला कलेक्टर महोदय, विदिशा, म0प्र0

.... अनावेदकगण

M.K. Jain Advocate

श्री .... द्वारा आज दि. 22-7-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू0 राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 05.06.2014 सीमाकंन न्यायालय तहसीलदार महोदय विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ12/13–14 में पारित।

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय ... ग्वालियर

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, आवेदक ग्राम हांसुआ जिला विदिशा स्थित भूमि क्रमांक 7/1 रकवा 1.314 हैक्0 का भूमि स्वामी है। आवेदक की भूमि क्रमांक 7/2 रकवा 0.063 हैक्0 अहमदपुर रोड में उत्तर तरफ शामिल हैं। जिससे अनावेदक क्रमांक 1 की भूमि लगी है। आवेदक की भूमि क्रमांक 7/1 में मकान , कुंआ, आम के पेड़ स्थित हैं।
2. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 तथा 4 अन्य अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार महोदय विदिशा ने समक्ष स्वंय की भूमि क्रमांक 7/3/1 का सीमाकंन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।
3. यहकि, तहसीलदार महोदय विदिशा द्वारा सीमांकन के लिये, प्रतिवेदन , पंचनामा सहित प्रस्तुत करने हेतु राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया।

क्रमश 2

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.............

प्रकरण क्रमांक 2203–एक/2014 निगरानी — जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभा''कों आ के हस्ताक्षर
5-8-16	यह निगरानी तहसीलदार विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 30 अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनॉक 5–6–2014 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–1 श्रीमती लीलावाई पत्नि तुलसीराम निवासी ग्राम हांसुआ ने तहसीलदार विदिशा को उसके स्वामित्व की ग्राम हांसुआ स्थित भूमि सर्वे नंबर 7/3/1 के सीमांकन की प्रार्थना की। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 30 अ–12/13–14 पंजीबद्व कर सीमांकन के निर्देश जारी किये। पटवारी हलका नंबर 86 से दिनांक 30–5–14 को मौके पर जाकर सीमांकन किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार विदिशा को प्रस्तुत किया। पटवारी व्दारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार विदिशा ने आदेश दिनांक 5–6–14 पारित किया तथा पटवारी व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को यह लिखकर अंतिमता प्रदान की कि प्राप्त आवेदन पत्र पर सीमांकन प्रतिवेदन पंचनामा प्रस्तुत करने हेतु राजस्व निरीक्षक को भेजा गया। राजस्व निरीक्षक व्दारा सीमांकन कर प्रतिवेदन मय पंचनामा प्रस्तुत किया है। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। 3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री एम0के0जैन एंव अनावेदक के अभिभाषक श्री वाई0एस0भदौरिया को सुना गया। आवेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण कमांक 30 अ–12/13–14 का अवलोकन किया गया। 4/ तहसीलदार के प्रकरण कमांक 30 अ–12/13–14 में राजस्व निरीक्षक का सीमांकन प्रतिवेदन अथवा पंचनामा संलग्न नहीं है अपितु पटवारी हलका नंबर	

प्रकरण कमांक 2203-एक/2014 निगरानी

86 श्री अतुल श्रीवास्तव व्दारा दिनांक 30-5-14 को स्थल पर किये गये सीमांकन का प्रतिवेदन संलग्न है जिसे तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन मानने में भूल की है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत विरचित नियमों के अधीन सीमांकन कार्यवाही हेतु तहसीलदार को शक्तियॉ प्रदान की गई है तथा असाधारण राजपत्र दिनांक 23-12-10 में प्रकाशित अधिसूचना कमांक एफ-2-23-2010 दिनांक 23 दिसम्बर 2010 के अनुसार इस धारा के अधीन तहसीलदार की शक्तियॉ समस्त राजस्व निरीक्षकों को उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर प्रदान की गई है किन्तु संहिता की धारा 129 के अधीन इस धारा के अधीन पटवारी कोई कार्यवाही नहीं कर सकता (नाथूराम विरूद्व नरोत्तम कुमार 1971 रा0नि0 252 से अनुसरित) जबकि विचाराधीन प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही पटवारी व्दारा की गई है जिसके कारण तहसीलदार विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 30 अ-12/ 2013-14 में पारित आदेश दिनॉक 5-6-2014 त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ यदि तहसीलदार विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 30 अ-12/ 2013-14 में पारित आदेश दिनॉक 5-6-2014 नियम एंव प्रकिया के विरूद्व पाये जाने से निरस्त किया जाता है तब सीमांकन कराने वाला कृषक सीमांकन के लाभ से बंचित होगा, जिसके कारण तहसीलदार विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 30 अ-12/ 2013-14 में पारित आदेश दिनॉक 5-6-2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनावेदक क-1 की भूमि का राजस्व निरीक्षक से अथवा अधीक्षक/उप अधीक्षक भू अभिलेख से पुन: सीमांकन करावें तदुपरांत प्रकरण में पुन: विधिवत् आदेश पारित करें।

सदस्य